

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसूदा (अजमेर) राज. मुकाम नसूदा

श्री मानू राम बनाम श्री सावरलाल व अन्य

U/s 212 R.T Act नं. 33/2019

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/6/19	<p>प्राथी के अधिवक्ता उपस्थित। जांच रिपोर्ट को अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होना अप्राथीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 3/8/19 को पूरे हो।</p> <p style="text-align: right;">(मोहनलाल खटनावलिया) उपखण्ड अधिकारी नसूदा (अजमेर) राज.</p> <p>3/8/19 प्राथी के अधिवक्ता उपस्थित। प्राथी स्वयं उपस्थित प्राथी एवं प्राथी के अधिवक्ता काद पत्र में प्रार्थना पत्र वापिस विष्टी करके रजिनामा से उत्सुत किया। अधिवक्ता प्राथी ने कथन किया कि पक्षकारण के मुख्य आपसी राजीनामा ले गथा ही इसलिए उकारण में कोई कार्रवाई नहीं चलते ही उकारण को विष्टी कर शारील किया जावे। प्रार्थना पत्र पर खटल सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा उकारण में कार्रवाई इसी स्वर पर होय कर शारील किया जाता है। मिमल फैसल शुमार होय नम्बर के कम हो। काद पक्षर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: right;">(मोहनलाल खटनावलिया) उपखण्ड अधिकारी नसूदा (अजमेर) राज.</p>	<p>नामूराम</p>

